दूरभाष/Phone: 25367033, 25367035, 25367035
फैक्स/Fax: 0091-11-25367024
ईमेल/ E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट/Website : www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8,द्वारका, फेस-1,
नई दिल्ली- 110077
Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1,
New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञानपरिषद्
MEDICAL COUNCIL OF INDIA

No. MCI – 154(3)/2018/Estt./ 111864. Date : 29/05/18.

To,
The Dean/Principal,
All Medical Colleges in India.

Sub: Biometric attendance through OFAMOS devices installed in the Medical Colleges under DMMP-I – Non-adherence of provisions of Regulation of MCI.

Sir/Madam,

As you are aware that Bio-metric machine have been installed in your Medical College for capturing faculty attendance for implementation of Online Faculty Monitoring System (OFAMOS) under DMMP-I Project.

In this regard, it has been observed that the Medical Colleges are not adhering to the regulations/instructions issued by the Council vide various earlier letters issued in this regard and the faculties are not marking their attendance through OFAMOS devices.

The Council vide its letter dated 03/11/2017, informed all the Medical Colleges that w.e.f. 01/12/2017 all the faculties should start marking their attendance and during the assessment of Medical College, the attendance captured through OFAMOS devices shall only be considered for count of faculties and not the manual attendance. However, in a large number of colleges these regulatory instructions have not been followed, which has been viewed seriously.

In view of above, all the Medical Colleges are once again directed to instruct their faculty members to mark their attendance through OFAMOS devices only and non-compliance thereof shall be treated as violation of "Minimum Standard Requirement for 50/100/150/200/250 MBBS Admissions Annually Regulations, 1999". Non-compliance of instructions may lead to denial of permission to apply for renewal of permission, recognition, increase of seats, starting of Postgraduate Course or any other scheme of the Council.

Yours faithfully,

(Ashok Kr. Harit)
Deputy Secretary (Admn.)

Copy to:-

1. Secretary (Health), All States of India
2. Director, Medical Education, All States of India

} With the request to impress upon all the Medical Colleges in their states to follow the statutory provisions of MCI Regulation and all the faculties must ensure to make their attedance through OFAMOS devices only.

Copy for information to:

1) PS to President, Medical Council of India
2) Chairman, Administration and Grievance Committee, Medical Council of India
3) Secretary(I/c), Medical Council of India
4) Consultant, Assessment Cell, Medical Council of India
5) Assistant Secretary, UG, Medical Council of India

दूरभाष/Phone: 25367033, 25367035, 25367035
फैक्स/Fax: 0091-11-25367024
ईमेल/ E-mail : mci@bol.net.in
वेबसाईट/Website : www.mciindia.org

पॉकेट-14, सेक्टर-8,द्वारका, फेस-1,
नई दिल्ली- 110077
Pocket-14, Sector-8, Dwarka, Phase-1,
New Delhi-110077

भारतीय आयुर्विज्ञानपरिषद्
MEDICAL COUNCIL OF INDIA

सं. भा.आ.प.-154(3)/2018/स्था./111864. दिनांक : 29/05/18

सेवा में,
भारत में सभी मेडिकल कॉलेजों के डीन/प्रधानाचार्य

विषय: डीएमएमपी-। के अंतर्गत मेडिकल कॉलेजों में संस्थापित ओएफएएमओएस उपकरणों के द्वारा बायोमेट्रिक उपस्थिति - भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियम के उपबंधों का पालन न किया जाना।

महोदय/महोदया,

जैसा कि आपको विदित है कि डीएमएमपी-। परियोजना के अंतर्गत ऑनलाइन संकाय मॉनीटरिंग प्रणाली (ओएफएएमओएस) के कार्यान्वयन हेतु संकाय सदस्यों की उपस्थिति प्राप्त करने के लिए आपके कॉलेज में बायोमेट्रिक मशीन संस्थापित की गई है।

इस संबंध में यह पाया गया है कि मेडिकल कॉलेज, इस बारे में पिछले विभिन्न पत्रों के अंतर्गत परिषद् द्वारा जारी किए गए विनियमों/ निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और संकाय सदस्य ओएफएएमओएस उपकरणों के द्वारा अपनी उपस्थिति अंकित नहीं कर रहे हैं।

परिषद् ने दिनांक 03.11.2017 के अपने पत्र के अंतर्गत सभी मेडिकल कॉलजों को सूचित किया था कि 01.12.2017 से सभी संकाय सदस्यों को अपनी उपस्थिति अंकित करनी आरंभ करनी चाहिए और मेडिकल कॉलेजों के मूल्यांकन के दौरान ओएफएएमओएस उपकरणों के द्वारा प्राप्त की गई उपस्थिति पर ही संकाय सदस्यों की गिनती के लिए विचार किया जाएगा और मैनुअल उपस्थिति पर नहीं। तथापि, बड़ी संख्या में कॉलेजों में इन विनियामक निर्देशों का पालन नहीं किया गया है, जिसे गंभीरता से लिया गया है।

उपर्युक्त को ध्यान में रखते हुए, सभी मेडिकल कॉलेजों को पुन: निर्देश दिया जाता है कि वे अपने संकाय सदस्यों को यह निर्देश दें कि वे केवल ओएफएएमओएस उपकरणों के जरिए ही अपनी उपस्थिति अंकित करें और इसका पालन न करने पर "50/100/150/200/250 एमबीबीएस दाखिले प्रति वर्ष की न्यूनतम मानक शर्तें विनियमावली, 1999" का उल्लंघन माना जाएगा। निर्देशों के पालन न करने के परिणामस्वरूप अनुमति के नवीकरण, मान्यता, सीटों की वृद्धि, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम आरंभ करने या परिषद् की किसी अन्य योजना के लिए आवेदन करने की अनुमति से मना किया जा सकता है।

भवदीय,

(अशोक कुमार हरित)
उप सचिव (प्रशासन)

प्रतिलिपि निम्नलिखित को:

1. सचिव (स्वास्थ्य), भारत के सभी राज्य
2. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा, भारत के सभी राज्य

इस अनुरोध के साथ कि उनके राज्यों में स्थित सभी मेडिकल कॉलेज भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के विनियम के उपबंधों का पालन करना सुनिश्चित करें एवं सभी संकाय सदस्य अपनी उपस्थिति केवल ओएफएएमओएस उपकरणों द्वारा ही लगाएँ।

प्रतिलिपि सूचनार्थ :-

1. भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद् के अध्यक्ष के निजी सचिव।
2. अध्यक्ष, प्रशासन एवं शिकायत समिति, भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।
3. सचिव (प्रभारी), भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।
4. परामर्शदाता (मूल्यांकन कक्ष), भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।
5. सहायक सचिव (स्नातक-पूर्व), भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद्।